न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 42/2022

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2022/81

प्रार्थी

मावाराम पुत्र तुलछा, कौम कलबी, निवासी–राजेश्वरपुरा, तहसील व जिला–सांचौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

2 चौथा पुत्र गोरखा, जाति–बिश्नोई, निवासी–जम्भेश्वरपुरा तहसील व जिला–सांचौर

प्रार्थना–पत्र बाबत् राजस्व रेकर्ड का नक्शा दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 12.08.2022

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25.10.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जा काश्तसुदा खातेदारी के खेत खसरा संख्या 986 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 987/1989 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर सरहद जम्भेश्वरपुरा में आये हुए है। जिसका मूल नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में वर्णित अनुसार ए, बी, सी, डी, ई, माफिक खसरा संख्या 986 का नक्शा व खसरा संख्या 987/1989 का नक्शा ई, डी, एफ, जी, एच, का था। नक्शा परिशिष्ठ 'अ' वाद पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी के उपरोक्त दोनों खसरों का कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर है जो नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में वर्णित अनुसार ए, बी, सी, डी, ई, व ई, डी, एफ, जी, एच अनुसार प्रार्थी के खेतों का रकबा 3.09 हैक्टेयर पूर्ण होता है लेकिन विगत समय में पटवार मण्डल बिछावाड़ी में कार्यरत तत्कालीन पटवारी ने विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी को नुकसान की नियत से हल्का पटवारी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी वैध आदेश के खसरा संख्या 987/1989 की [illegible] अन्दर काली स्याही से कर दी जो हल्का पटवारी ने विधि विरूद्ध नक्शा परिशि[illegible] 'ब' [illegible]क तरमीम कर दी जिसके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जानी [illegible] उक्त विधि विरूद्ध तरमीम पुनः पूर्ववत सुधार की जानी न्यायसंगत है। नक्शा परिशि[illegible] 'ब' माफिक प्रार्थी के खे[illegible] रकबा 3.09 हैक्टेयर पूर्ण नहीं होता है प्रार्थी के खेतों का रकबा नक्शा परिशिष्ठ 'अ' माफिक ही प्रार्थी का मूल नक्शा था जिसके अनुसार रकबा पूर्ण होता है लेकिन अप्रार्थी ने तत्कालीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

हल्का पटवारी जो उनकी जाति का रिश्तेदार होने से उनसे मिलावट कर नक्शा परिशिष्ठ 'ब' अनुसार खेतों की तरमीम को विधिविरुद्ध तरीके से नक्शा परिशिष्ठ 'ब' माफिक करवा दिया जिससे अप्रार्थी के खेत के नक्शे का रकबा मूल खरीद से ज्यादा हो गया, जबकि खरीद अनुसार अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 987 रकबा 1.95 हैक्टेयर ही है, लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 987 का नक्शा अनुसार रकबा 2.19 हैक्टेयर है जो वास्तविक मूल खरीद रकबे से 0.24 हैक्टेयर भूमि ज्यादा का नक्शा ट्रेस है जो गलत है। ऐसी सूरत में खसरा संख्या 986 व 987/1989 की तरमीम नक्शा परिशिष्ठ 'अ' माफिक की जानी न्याय संगत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 986 व 987/1989 का रकबे अनुसार पूर्ववत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार इन्द्राज दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपना जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खसरा संख्या 986 का वास्तविक रकबा 2.61 हैक्टेयर बनता है एवं खसरा संख्या 987/1989 का नाप 0.24 हैक्टेयर बनता है जबकि खसरा संख्या 986 का राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 986 का रकबा 2.85 हैक्टेयर बनता है एवं खसरा संख्या 987/1989 का राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा 0.24 हैक्टेयर है। खसरा संख्या 987 की भुजाओं का नाप किया गया। उक्त भुजाओं के नाप अनुसार खसरा संख्या 987 का राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा से वास्तविक रकबा 1.95 हैक्टेयर से 0.24 हैक्टेयर अधिक बनता है। लटठा ट्रेस में खसरा संख्या 987/1989 की तरमीम खसरा संख्या 986 के अंदर की तरफ लाल स्याही की जगह आसमानी पेन से की हुई है जबकि इस खसरे का अंकन करने का पटवारी हल्का ने कोर्ट आदेश होने से इन्कार किया। अतः जांच रिपोर्ट अनुसार अगर खसरा संख्या 987/1989 की तरमीम नजरी नक्शे में लाल स्याही से बताये स्थान पर तरमीम शुद्धि की जाती है तो उचित रहेगा। हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खसरा संख्या 986 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 987/1989 रकबा 0.24 हैक्टेयर [illegible] है। उपरोक्त दोनों खसरों का कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर है जो नक्शा परिशिष्ठ 'अ' [illegible] अनुसार ए, बी, सी, डी, ई, व ई, डी, एफ, जी, एच, अनुसार प्रार्थी के खेतों का रकबा 3.09 हैक्टेयर पूर्ण होता है लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का बिछावाड़ी ने खसरा संख्या [illegible]/1989 की तरमीम खसरा संख्या 986 के अन्दर काली स्याही से कर दी जो विधि विरूद्ध नक्शा परिशिष्ठ 'ब' माफिक प्रार्थी के खेतों का रकबा पूर्ण नहीं होता है अतः प्रार्थी का रकबा नक्शा परिशिष्ठ 'अ' माफिक ही प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

का रकबा पूर्ण होता है अतः प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 986 व खसरा संख्या 987/1989 नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार इन्द्राज करने का आदेश फरमावें। राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित अनुसार बहस कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 987/1989 की तरमीम खसरा संख्या 986 के अंदर की तरफ लाल की जगह ब्ल्यू पेन से की हुई है अतः खसरा संख्या 987/1989 की तरमीम नजरी नक्शे में लाल स्याही से बताये स्थान पर तरमीम शुद्वि की जाती है तो उचित रहेगा तथा खसरा नंबर 987/1989 की तरमीम भू.अ. निरीक्षक द्वारा बनाये नजरी नक्शा दिनांक 20.06.2024 में वर्णित लाल रंग अनुसार करने पर खसरा नंबर 986 व 987 को रकबा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत बंटवाड़ा के साथ सलंग्न किये नक्शा ट्रेश व भू. अभिलेख निरीक्षक सरवाना द्वारा दिनांक 20.06.2024 का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत आपसी सहमति का बंटवाड़ा दिनांक 22.07.2005 का भी अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के सहमति से किये गये बंटवाड़े अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 986 व 987/1989 की तरमीम की जानी उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा जंभेश्वरपुरा के खेत खसरा संख्या 986 व 987/1989 की आपसी सहमति से किया गया बंटवाड़ा दिनांक 22.07.2005 के अनुसार तरमीम की जावें। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner